

न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 22 / 2018

दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 924 ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल के 15516 पुत्र 210142516 जाति (ब्राह्मण) साकिन 58 ने ग्राम 1777216 के खसरा नं० 166 रकबा 0.00 बीघा जोहड पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का राभूरा अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नॉटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबन्धित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल के 15516 पुत्र श्री 210142516 जाति (ब्राह्मण) साकिन 58 ग्राम 1777216 खसरा नं० 166 रकबा 0.00

बीघा को अतिक्रमण करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.2626 का 50 गुणा रूपये 13/- शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौक से बदखली करने के आदेश दिये जाते हैं। बदखली बादत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जाये तथा जमीना वसुली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी आर ए आर को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर